



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-14092024-257172
CG-MH-E-14092024-257172

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3595]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 13, 2024/भाद्र 22, 1946

No. 3595]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 13, 2024/BHADRA 22, 1946

रेल मंत्रालय

(मध्य रेल)

अधिसूचना

मुंबई, 12 सितम्बर, 2024

का.आ. 3930(अ).—केंद्रीय सरकार ने रेल्वे (संशोधन) अधिनियम 2008(2008 का 11 वां) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20'क' की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 19 एप्रिल 2024 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल्वेबोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1670 (अ) तारीख 19 एप्रिल 2024 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है, द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, वर्धा -यवतमाल- नांदेड नई ब्रॉडगेज रेल्वेलाइन निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20-क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् "सिंहज्ञेप" में तारीख 25 मे 2024 को और "विदर्भ मतदार" में तारीख 26 मे 2024 को प्रकाशित किया गया था।

और, आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे और उन पर विचार किया गया है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर दिये गए हैं।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20-ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20(ड)की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह की, केंद्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20-ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है की राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में अत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले में यवतमाल, दिग्रस तालूका से नागरी सेक्शन के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपजिल्हाधिकारी, (भूसंपादन) रस्ते प्रकल्प यवतमाल, केअधीन विशेषरेल परियोजना वर्धा -यवतमाल- नांदेड नई ब्रॉडगेज रेल्वेलाइन के लिए अर्जित की जानेवाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

अ. क्र.	भूसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 के अनुसार भूधारक का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि धारणा प्रणाली	7/12 के अनुसार कुल क्षेत्रफल (हे.आर.)	अधिग्रहण क्षेत्र (हे.आर.)
1	06/47/22-23	भोयर	यवतमाल	योगेश सुभाष कंचलवार, सुहास रंगराव नागठाणे	48/3	2	1.27	1.27
2				यशोदाबाई अंबादास लूंगसे व इतर 6	48/4	2	1.27	0.07
कुल							2.54	1.34
1	07/47/22-23	साखरा	दिग्रस	इशा आनंदराव बिजमवार, आनंद दिपकरराव बिजमवार	147	1	20.76	0.41
2				समनताई बळीराम राठोड	146/1	1	2.42	0.13
				संयोग बलराज राठोड	146/2	1	2.7	
3				अनूप अच्यूतराव बिजमवार, सूषमा अच्यूतराव बिजमवार,	148	1	6.83	0.02
4	कुसुमबाई सुखनंदलाल जयस्वाल	154पै	1	1.6	0.02			
कुल							34.31	0.58
योग कुल							36.85	1.92

[फा. सं. G197/2024/Wardha-Nanded/September/20E-I]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Central Railway)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 12th September, 2024

S.O. 3930(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways(Railway Board),numbers' **1670 (A)**dated **19thApril 2024** published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (ii) dated the **19thApril 2024** (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **“Wardha Yavatmal Nanded New BG Railway Line** “in the district of Yavatmal in the state of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely **“Sinhzep” Dated25thMay 2024** And **“Vidarbh matdar” Dated 26thMay 2024** under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received and the same have been considered by the competent Authority accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section 20D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed here to shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government here bydeclares that on publication of this notification the official Gazette; the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government Free formalin branches.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project **“Wardha Yavatmal Nanded New BG Railway Line”** in Taluka-Digras & yavatmal Nagri Section under Dy.Collector (Land Acquisition),Road Project Yavatmal the district Yavatmal in the State of Maharashtra.

Sr. No	Land Acquisition Case No	Name of the village	Taluka	Name of Landholder as per 7/12	Survey no.	Land holding system	Total Area as on 7/12 (H.R.)	Acquisition Area (H.R.)
1	06/47/22-23	Bhoyar	Yavatmal	Yogesh Subhash Kanchalwar, Suhas Rangrao Nagthane	48/3	2	1.27	1.27
2				YashodabaiAmbadasLungse+ Other 6	48/4	2	1.27	0.07
Total							2.54	1.34
1	07/47/22-23	Sakhra	Digras	Isha Anand Bijamwar, Anand Dipakrao Bijamwar	147	1	20.76	0.41
2				Sumantai Baliram Rathod	146/1	1	2.42	0.13
				Sanyog Balraj Rathod	146/2	1	2.7	
3				Anup Achyutrao Bijamwar, Sushma Achyutrao Bijamwar	148	1	6.83	0.02
4				KusumbaiSukhnandlal Jaiswal	154P	1	1.6	0.02
Total							34.31	0.58
Grand Total							36.85	1.92

[F. No. G197/2024/Wardha-Nanded/September/20E-I]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)